09.02.2023

पत्रावली पेश हुवी। प्रार्थी राज्य की ओर से पैराकार राज उपस्थित। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री औमप्रकाश आचार्य उपस्थित। अप्रार्थी की और से आज भी कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। वे ओर अवसर दिये जाने की मांग कर रहे है। जिसका कोई औचित्य प्रतीत नही है। क्योकि प्रकरण वर्ष 2018 की प्रथम तिमाही के अन्त मे दर्ज होकर ट्रायल के अधीन चला आ रहा है। अप्रार्थी दिनांक 19/04/2018 के जरिये वकालतन अदालत में हाजिर हो गया तथा तभी से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने की मांग करते चले आ रहे है। प्रकरण क्रमशः 4.1/2 वर्ष से लम्बित है तथा इतनी अवधि के गुजर जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी की ओर से जवाब देही नही करने एवे उसकी प्रकरण को केवला लम्बा करने की नियत को प्रकट करता है। तथा अब और समय नही दिया जा सकता है। ऐसा किया जाता है तो न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा और इस दृष्टि से जवाबदेही अप्रार्थी बन्द कर समाप्त की जाती है। बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष अन्तिम प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत आदेशिका के अधीन निस्तारण किया जा रहा है।

राज्य की और से उपस्थित पैरोकारराज ने दौराने बहस बताया कि आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 488 तादादी 5.26 हैक्टर जो ग्राम रोही मढ़ तहसील कोलायत में स्थित है जो भवरकंवर पत्नी स्व. जगमालसिह, चन्द्रसिंह, ओमसिंह, मदनसिंह, माधोसिंह, भीमसिंह, पूर्णसिंह पुत्र/पुत्रीया श्री जगमालसिंह बहिब 7/8 हिस्सा सुमनकंवर पत्नी स्व. राजुसिंह बहिब 1/8 हिस्सा जाति राजपुत निवासी शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर की खातेदारी कृषि भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के है। हल्का पटवारी मढ़ एवं भू.अ.निरीक्षक कोलायत की रिपोर्ट तहसीलदार कोलायत के समझ की अप्रार्थी माधोसिंह ने विवादित भूमि में ईट भटटा स्थापित कर कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है। इस पर तहसीलदार राजस्व कोलायत ने अदालत वाला में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी को राज्य के पक्ष में रिज्युम की जावें तथा विवादित भूमि से अप्रार्थी की बेदखली की जावें। जमीन सिवायचक दर्ज कर कब्जा राज लेने के आदेश दिये जावें। पैराकारराज ने यह भी बताया कि न्यायालय में उपस्थित आजाने एवं समुचित अवसर लेने के उपरान्त भी अप्रार्थी ने अपने बेदखली दायित्व का विरोध नही किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला बीकानेर